न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 86/2016 दायरा दिनांक : 10.02.2016

उनवान

1— धन्नालाल, आयु 55 साल पुत्र श्री सोन्या, जाति सहरिया, निवासी ग्राम कोटड़ा, तहसील बारां, जिला बारां

2— मिथुन आयु 25 साल पुत्र मोहनलाल, जाति सहरिया, निवासी ग्राम कोटड़ा, तहसील बारां, जिला बारां

3— राकेश आयु 23 साल पुत्र मोहनलाल, जाति सहरिया, निवासी ग्राम कोटड़ा, तहसील बारां, जिला बारां

4— पप्पू आयु 40 साल पुत्र सोन्या, जाति सहरिया, निवासी ग्राम कोटड़ा, तहसील बारां, जिला बारां

5— सुगना आयु 40 साल पत्नी रामप्रसाद, जाति सहरिया, निवासी ग्राम कोटड़ा, तहसील बारां, जिला बारां

6— मन्जू आयु 45 साल पत्नी घांसीलाल पुत्री सोन्या, जाति सहरिया, निवासी ग्राम कोटड़ा, तहसील बारां, जिला बारां

7— रामनाथी आयु 75 साल बेवा सोन्या, जाति सहरिया, निवासी ग्राम कोटड़ा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— बलराम पुत्र मथुरालाल, जाति किराड, निवासी ग्राम कोटड़ा, तहसील बारां, जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री राजेन्द्र सुमन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.05.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या — 42/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम कोटड़ा, तहसील बारां में आराजी खसरा नम्बर 176/330 रकबा 3 बिस्वा स्थित है जो विवादित है । इस आराजी के बन्दोबस्त के बाद नये खसरा नम्बर 210 रकबा 0.02 हेक्टर कायम किये हैं । रकबा कम कर नक्शा भी छोटा कर दिया गया है । रकबा 1 बिस्वा कम दर्ज किया गया है । इस आराजी को प्रतिवादी नम्बर 1 की आराजी खसरा नम्बर 239 रकबा 0.16 हेक्टर में मिला दिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः वादी का दावा स्वीकार कर प्रतिवादी नम्बर 2 के खाते की आराजी खसरा नम्बर 239 में से रकबा 1 बिस्वा आराजी वादी के खाते दर्ज की जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.05. 2015 को लोक अदालत में दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट के खाते की आराजी कम दर्ज की गई है । कैम्प में गलत रूप से निर्णय पारित किया गया है । बन्दोबस्त विभाग ने 1 बिस्वा आराजी वादी की कम करके प्रतिवादी के खाते में दर्ज कर दी है । वादी और प्रतिवादी के मध्य कोई चारागाह भूमि नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.01.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रकबा कम हुआ है जिसको दुरूस्त कराने के लिए अपीलांट वादी हकदार है । अधीनस्थ न्यायालय ने सी पी सी के प्रावधानों के विपरीत लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट की कोई आराजी रेस्पोडेंट के खाते में दर्ज नहीं की गई है । अधीनस्थ

न्यायालय ने सहमति के आधार पर दावे का निस्तारण किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने दावा पेश होने के बाद में जवाबदावा पेश किया गया और तनकीयात कायम की गई उसके उपरान्त पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में दिनांक 27.05.2015 को धन्नालाल वादी रामनाथी वादिनी और पप्पू वादी के निशानी अंगूठा लगे हुए हैं और प्रतिवादी बलराम के हस्ताक्षर हो रहे हैं । वादी नम्बर 2 मिथुन, वादी नम्बर 3 राकेश, वादी नम्बर 5 सुगना और वादी नम्बर 6 मन्जू बाई के हस्ताक्षर नहीं हैं । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है और न ही समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और उसी दिन लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर

तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.08.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा